



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271764
CG-DL-E-13042026-271764

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1791]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948

No. 1791]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
(स्टार्टअप इंडिया अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

का.आ. 1860(अ).— केंद्र सरकार ने देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम के लिए उद्यम पूंजी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपये के कुल कॉर्पस से 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ़ फंड्स 2.0' की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है।

इस स्कीम को 'स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ़ फंड्स 2.0 (स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0)' के नाम से जाना जाएगा। यह स्कीम इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी और एआईएफ के लिए प्रतिबद्धताएं 16वें और 17वें वित्त आयोग की अवधि तक होगा।

1. उद्देश्य

- 1.1 स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ़ फंड्स 2.0, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ़ फंड्स 1.0 की तरह विभिन्न चरणों एवं क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को उद्यम पूंजी तक पहुंच उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही यह नवप्रयोग-आधारित विनिर्माण तथा दीर्घावधि में विकसित होने वाली प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगा एवं स्टार्टअप्स में आरंभिक विकास चरण के निवेश पर केंद्रित लघु उद्यम कोषों के विकास को सहायता प्रदान करते हुए नवोन्मेषी आइडिया को प्रोत्साहित करेगा।

- 1.2 स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 की व्यापक संरचना वही होगी जो स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 में स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ़ फंड्स की शुरुआत के लिए अपनाई गई थी। यह स्कीम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ) की कॉर्पस राशि में अंशदान देगी, ताकि वे केंद्र सरकार द्वारा 'स्टार्टअप' के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों के इक्विटी तथा इक्विटी-संबद्ध साधनों में निवेश कर सकें।
- 1.3 अन्य निवेशकों से निधि जुटाकर लक्षित राशि एकत्र करने के पश्चात, एआईएफ निवेश के लिए स्टार्टअप्स का मूल्यांकन करेंगे और यह निवेश एक निर्धारित अवधि के दौरान किस्तों में किया जाएगा। तदनुसार, एआईएफ निवेश करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 सहित विभिन्न योगदानकर्ताओं से चरणबद्ध रूप से धनराशि आहरित करेंगे। निवेश के उपरांत, सहायता प्राप्त एआईएफ एग्जिट/निवेश के विक्रय से पूर्व अपने निवेशिनी स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
- 1.4 स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 से प्राप्त राशि (रिडीम की गई पूंजी तथा उस पर अर्जित रिटर्न) में से स्टार्टअप ईकोसिस्टम की क्षमता निर्माण के उद्देश्य से अधिकतम 5 प्रतिशत रिटर्न के उपयोग को समायोजित करने के पश्चात शेष राशि भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में जमा की जाएगी।
- 1.5 स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ़ फंड्स 2.0 का विस्तृत दायरा निम्नानुसार होगा:
- क. लक्षित सहायता के लिए अलग-अलग खंड आधारित दृष्टिकोण:- क) खंड-1: डीपटेक को सहायता प्रदान करने वाले एआईएफ, अर्थात्, जटिल समस्याओं के समाधान के लिए जिसमें लंबा अनुसंधान एवं विकास चक्र, उच्च लागत शामिल होती है; अभिनव समाधान विकसित करने वाले स्टार्टअप ख) खंड-2: छोटे एआईएफ (माइक्रो वीसी), जो विकास के प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करते हैं, अर्थात् ऐसे स्टार्टअप्स, जो किसी प्रौद्योगिकी, उत्पाद या सेवा के विकास के शुरुआती चरण में हैं, उन्हें पूंजी प्रदान करने के लिए; ग) खंड-3: ऐसे एआईएफ, जो प्रौद्योगिकी-आधारित नवोन्मेषी विनिर्माण स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करते हैं, अर्थात् नवोन्मेषी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए; "मेक इन इंडिया" के तहत विनिर्माण-उन्मुखी चैंपियन क्षेत्रों से प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप्स और घ) खंड-4: ऐसे एआईएफ, जो सेक्टर/चरण निरपेक्ष स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करते हैं।
- ख. इन खंडों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिचालनगत लचीलेपन के विवरणों को परिचालन दिशानिर्देशों में शामिल किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी (i) पूंजी प्रधान क्षेत्रों, जैसे डीप टेक एवं विनिर्माण खंड के लिए निधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बड़े कॉर्पस वाले एआईएफ को सहायता प्रदान करना; (ii) दीर्घावधि वाले एआईएफ को सहायता प्रदान करना, ताकि इससे दीर्घावधि वाले अनुसंधान एवं विकास चक्र और अधिक उत्पादन-पूर्व अवधि वाले स्टार्टअप्स की जरूरतों को पूरा किया जा सके; (iii) इस स्कीम के तहत विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे डीपटेक और विनिर्माण क्षेत्रों में अधिक अंशदान प्रदान करना जिनमें निजी पूंजी सीमित है और निवेश सावधानीपूर्वक किया जाता है; और (iv) निवेश गुणक (न्यूनतम राशि, जो एक एआईएफ को स्कीम के तहत प्रतिबद्ध राशि के गुणक के रूप में स्टार्टअप्स में निवेश करनी होगी) को मॉडरेट करना, ताकि अधिक संख्या में एआईएफ इस स्कीम से लाभान्वित होने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और स्टार्टअप्स में निवेश कर सकें;
- ग. अतिरिक्त कोष के योगदान के लिए स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 का एक व्यापक फ्रेमवर्क के रूप में उपयोग करना या मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ संस्थागत निवेशकों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सह-निवेश।
- घ. मार्गदर्शन और निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधित्व के माध्यम से एक अधिकारप्राप्त समिति (ईसी) का गठन करके मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना।

- ड. ईकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए रिटर्न के 5 प्रतिशत तक भाग को जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, क्षमता निर्माण, प्लग-एंड-प्ले साझा सुविधाएं, मेंटरशिप तथा विनियामक सहायता जैसे कार्यों के लिए विनिर्धारित किया जाएगा।
- च. ऐसी स्कीमों के प्रबंधन के लिए अन्य संस्थानों के क्षमता निर्माण हेतु एक से अधिक कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) की व्यवस्था।

2. कार्यान्वयन तंत्र

2.1 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें एफएफएस 1.0 के व्यापक परिचालन तंत्र को आधार बनाते हुए प्रस्तावित स्कीम के विस्तारित दायरे को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अन्य पहलुओं को भी सम्मिलित किया जाएगा। इन परिचालन दिशा-निर्देशों में खंडवार प्रावधान, एआईएफ तथा स्टार्टअप्स के लिए पात्रता मानदंड, चयन एवं मॉनीटरिंग प्रक्रिया, सूचना एवं मूल्यांकन आवश्यकताएं, आईए तथा एआईएफ को निधि संवितरण की व्यवस्था, निवेश समिति की संरचना तथा स्कीम के संचालन के लिए आवश्यक अन्य सभी विवरण शामिल होंगे।

2.2 इस स्कीम के कार्यान्वयन में अन्य बातों के साथ निम्न भी शामिल होंगे—

- (क) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई), जो एफएफएस 1.0 की कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) है, स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 के लिए भी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एक या अधिक अन्य घरेलू आईए का भी चयन किया जाएगा।
- (ख) आईए, एआईएफ से प्रस्ताव प्राप्त करेंगे और उसकी उचित जांच-पड़ताल करेंगे, जिसके पश्चात् डीपीआईआईटी द्वारा गठित उद्यम पूंजी निवेश समिति (वीसीआईसी), जिसमें उद्योग जगत, विषय विशेषज्ञों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों का प्रतिनिधित्व होगा, प्रस्तावों पर विचार कर उनकी सिफारिश करेगी। वीसीआईसी, इस स्कीम के तहत फंडिंग हेतु, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित और प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले एआईएफ पर विचार करेगी।
- (ग) एआईएफ, जो सामूहिक निवेश माध्यम होते हैं, अन्य निवेशकों/योगदानकर्ताओं से भी निधि जुटाएंगे। लक्षित कॉर्पस राशि, जिसमें स्टार्टअप इंडिया एफओएफ 2.0 से प्राप्त राशि भी शामिल होगी, जुटाने के पश्चात् एआईएफ निवेश के लिए स्टार्टअप्स का मूल्यांकन करेंगे और यह निवेश एक निश्चित अवधि में किस्तों के रूप में किया जाएगा। निवेश के पश्चात् सहायता प्राप्त एआईएफ एगजिट/निवेश के विक्रय से पूर्व अपने निवेशिती स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।

3. मॉनीटरिंग और शासन

3.1 डीपीआईआईटी के सचिव की अध्यक्षता में एक 'अधिकारप्राप्त समिति (ईसी)' का गठन किया जाएगा, जो अन्य बातों के साथ इस स्कीम के कार्यान्वयन और प्रदर्शन को मॉनीटर करेगी। इस समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के प्रतिनिधि तथा स्टार्टअप ईकोसिस्टम से विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। ईसी को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक रूपरेखा के अंतर्गत स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्कीम की अधिसूचना तथा परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

[फा. सं. पी-38015/17/2025-स्टार्टअप इंडिया]

अतीश कुमार सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

(STARTUP INDIA SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

S.O. 1860(E).—The Central Government has approved the establishment of ‘Startup India Fund of Funds 2.0’ with a total corpus of Rs. 10,000 crore for the purpose of mobilizing venture capital for the startup ecosystem of the country.

The Scheme shall be known as the ‘Startup India Fund of Funds 2.0 (Startup India FoF 2.0)’. It shall come into force from date of this notification, with commitments to AIFs spread over the 16th and 17th Finance Commission Cycles.

1. Objectives

- 1.1 Startup India Fund of Funds 2.0 will enable access to venture capital for startups across stages and sectors as was in the case of Fund of Funds for Startups 1.0 while providing thrust to innovation driven manufacturing and development of long gestation technologies, as well as, to support development of smaller Venture Capital funds with focus on investments in early growth stage startups, nurturing innovative ideas.
- 1.2 The broad structure for Startup India FoF 2.0 will continue to be the one adopted for the Fund of Funds for Startups launched in 2016 as part of the Startup India Action Plan. The Scheme will contribute to the corpus of SEBI-registered Alternative Investment Funds (AIFs) for investing in equity and equity-linked instruments of entities recognised as ‘startups’ by the Central Government.
- 1.3 After raising funds from other investors, to meet the target corpus amount, AIFs will evaluate startups for investments, which will take place in tranches over a period. Accordingly, AIFs will draw funds from contributors including Startup India FoF 2.0 in tranches for making the investments. Post investments, the supported AIFs will mentor and nurture their investee startups before exit/sale of investments.
- 1.4 Distributions (both capital redeemed and returns earned) from Startup India FoF 2.0, net-off utilisation of up to 5% of the returns for purpose of capacity building of startup ecosystem, will be deposited back to the Consolidated Fund of India (CFI).
- 1.5 Startup India Fund of Funds 2.0 will have an expanded scope with:
 - a. Segmented approach to target key segments for real innovation:- a) Segment-1: AIFs supporting deep tech i.e., startups engaged in developing novel solutions addressing complex problems that involve longer R&D cycles, higher costs; b) Segment-2: Smaller AIFs (Micro VCs) supporting early growth stage startups i.e., startups which are in the early phases of developing a technology, product or service, to provide capital to them; c) Segment-3: AIFs supporting tech-driven innovative manufacturing startups i.e., tech-driven startups from manufacturing-oriented champion sectors under “Make in India” for promoting innovative manufacturing; and d) Segment-4: AIFs supporting sector/stage agnostic startups.
 - b. Operational flexibilities to address the unique requirements of the segments will be incorporated in the operational guidelines. This will include: (i) Supporting AIFs with larger corpus to increase the availability of funds required for capital intensive segments such as deep tech and manufacturing; (ii) Supporting longer duration (term) AIFs to cater to startups having longer R&D cycles and gestation periods; (iii) Higher contribution from the Scheme for specific segments as deep tech and manufacturing wherein private capital is limited and cautious; and (iv) Moderation of investment multiplier (minimum amount an AIF must invest in startups as a multiple of the amount committed to it under the Scheme) to encourage larger number of AIFs to benefit from the Scheme and invest in startups;

- c. Positioning the Startup India FoF 2.0 as an umbrella framework for co-investment or contribution of additional corpus for specific domains by Ministries/ Departments as well as institutional investors
- d. Strengthened monitoring and evaluation system by constituting an Empowered Committee (EC) with inter-ministerial representation for guidance and oversight.
- e. Promoting ecosystem development by earmarking up to 5% of returns for activities such as sensitization, workshops, capacity building, plug and play shared facilities, mentorship, and regulatory support.
- f. Having more than one Implementation Agency (IA) for building capacity of other institutes to manage such Schemes.

2. Implementation Mechanism

- 2.1. The operational guidelines will be issued by Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) with broad operational mechanism of FFS 1.0 and incorporating other aspects important to realise the expanded scope of the proposed Scheme. The operational guidelines will cover the detailed segment-wise provisions, eligibility criteria for AIFs and startups, selection and monitoring processes, reporting and assessment requirements, mechanism for disbursement of funds to IAs and AIFs, composition of investment committee, and all other details necessary for operating the Scheme.
- 2.2. The implementation of the Scheme will *inter-alia* entail:
 - a. Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Implementation Agency (IA) of the FFS 1.0, shall also be the Implementing Agency for the Startup India FoF 2.0. In addition, another domestic IA(s) shall also be selected to implement the proposed Scheme.
 - b. The IAs will seek proposals from AIFs and conduct due diligence, post which a Venture Capital Investment Committee (VCIC) constituted by DPIIT, which would include representation from the industry, subject matter experts, and IAs, will consider the proposals for recommendation. VCIC will consider AIFs managed by experienced professionals with proven track records for funding under the Scheme.
 - c. AIFs, being pooled investment vehicles, will also raise funds from other investors/contributors. After raising funds to meet the target corpus amount including from Startup India FoF 2.0, AIFs will evaluate startups for investments, which will take place in tranches over a period. Post investments, the supported AIFs will mentor and nurture their investee startups before exit/sale of investments.

3. Monitoring and Governance

- 3.1 An 'Empowered Committee (EC)' chaired by Secretary, DPIIT shall be constituted, which *inter-alia* will monitor implementation and performance of the Scheme. EC will include representatives from concerned line Ministries/Departments, National Startup Advisory Council and special invitees from the startup ecosystem. The EC shall have the powers to amend the Scheme notification and operational guidelines for effective implementation of the Scheme within the broad contours as approved by the Cabinet.

[F. No. P-38015/17/2025-STARTUP INDIA]

ATEESH KUMAR SINGH, Addl. Secy.